

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2
संख्या- 04 /2020/204/अस्सी-2-2020-100-(11)-2020
लखनऊ : दिनांक : 15 जून, 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 7-घ की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, निजी मण्डी स्थल लाइसेन्सधारी, या उसकी प्रबन्ध समिति द्वारा निजी मण्डी स्थल में संव्यवहृत अधिसूचित कृषि उत्पाद (उक्त अधिनियम सन् 1964 की अनुसूची में संख्यांकित) पर मूल्यानुसार दो प्रतिशत की दर से उपयोक्ता प्रभार संग्रहीत करना अवधारित करती हैं। निजी मण्डी स्थल लाइसेन्सधारी, एक चौथाई संग्रहीत उपयोक्ता प्रभार का अभिदान, निदेशक, कृषि विपणन द्वारा अनुरक्षित और प्रचलित निधि में करेगा।

डा० देवेश चतुर्वेदी
प्रमुख सचिव

संख्या- 04 /2020/204/अस्सी-2-2020, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपर्युक्त अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित आगामी आसाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 के खण्ड "ख" में प्रकाशनार्थ।
- 2- निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
- 3- निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त, 30प्र0।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, 30प्र0।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

समर बहादुर
अनु सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**UTTAR PRADESH SHASAN
KRISHI VIPRAN EVAM KRISHI VIDESH VYAPAR ANUBHAG-2**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no 04 / 2020/204/Eighty-2-2020-100(11)/2020 dated 15 June,2020

Notification

Number- 04 / 2020/204 /Eighty-2-2020-100(11)/2020
Lucknow, Dated- 15 June,2020

In exercise of the powers under sub-section (2) of Section 7-D of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P.Act no.XXV of 1964) read with section 21 Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no-1 of 1904), the Governor is pleased to determine to collect the user charge on notified agricultural produce (enumerated in the Schedule to the said Act of 1964) transacted in the Private Market yard at the rate of two percent *ad valorem* by the Private Market Yard Licencee, or his management committee. The Private Market Yard licencee shall contribute one-fourth of the user charge collected, to a fund maintained and operated by Director, Agricultural Marketing.

By order

**Dr.DEVESH CHATURVEDI
Pramukh Sachiv**

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।